मथुरा–वृन्दावन विकास प्राधिकरण, मथुरा

ई–टेण्डर निविदा सूचना

मथुरा–वृन्दावन विकास प्राधिकरण, मथुरा द्वारा टू–बिड पद्धति पर म.वृ.वि.प्रा. अथवा उ.प्र. के अन्य समस्त विकास प्राधिकरण अथवा उ.प्र. के समस्त सरकारी विभागों में सिविल कार्यों हेतु पंजीकृत ठेकेदारों/फर्मों से ई–निविदा आमंत्रित हैं। निम्न कार्यों हेतु किसी भी श्रेणी में पंजीकृत ठेकेदारों/फर्मों द्वारा किसी भी कार्य हेतु प्रतिभाग किया जा सकता है, बशर्तें वे सम्बन्धित कार्य हेतु आवश्यक तकनीकी सम्बन्धी अर्हता पूर्ण करते हों। निविदा प्रपत्र उ.प्र. की ई–प्रोक्योरमेन्ट की बेवसाइट http://etender.up.nic.in से प्राप्त एवं देखे जा सकते हैं। निविदा मूल्य एवं जमानत धनराशि पृथक–पृथक रूप से यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, मथुरा कैन्ट (IFSC : UBIN 0551872) के खाता संख्या 518702010068039 में RTGS/NEFT के माध्यम से धनराशि जमा कराते हुए प्राप्त यू.टी.आर. स्लिप की अलग–अलग स्कैन कॉपी अपलोड करना अनिवार्य है।

Tender Reference	MVDA/2017-18/07
Publish Date and Time for RFP	**26.03.2018** at 12.00 PM
Last Date and time for submission of E-tender	**17.04.2018** at 03.00 PM
Date and time for Opening Tender/Tech. Bid	**19.04.2018** at 12.00 PM

क्र.सं.	कार्य का नाम	निविदा धनांक (रू0)	निविदा मूल्य (18% G.S.T.) सहित (रू0)	धरोहर धनराशि (रू0)	कार्य अवधि
1.	जिला कारागार, मथुरा के मुख्य पहुँच मार्ग का सुदृढ़ीकरण का कार्य।	18,23,613.00	1180.00	1,82,362.00	03 माह
2.	कैलाश नगर योजना के सैक्टर–1 में क्षतिग्रस्त वाटर लाइन को बदलने के सम्बन्ध में।	3,57,875.00	472.00	35788.00	03 माह
3.	रूक्मणी विहार आवासीय योजना के सैक्टर–03 में निर्माणाधीन पॉच मंजिले 02 बी0एच0के0 भवनों में 10 पैसेन्जर क्षमता की इलैक्ट्रिक एलिवेटर (लिफ्ट) का कार्य।	Item Rate	2360.00	5,71,375.00	04 माह
4.	रूक्मणी विहार आवासीय योजना में निर्माणाधीन पाँच मंजिला 02 बी0एच0के0 भवनों में अग्निशमन संयंत्र की आपूर्ति एवं स्थापना का कार्य।	43,05,980.00	1770.00	4,15,299.00	06 माह
5.	पं. मदन मोहन इण्टर कॉलेज से आराध्य स्टेट, गिर्राज रेजीडेन्सी होते हुए गोवर्धन रोड तक सड़क एवं नाली तथा नाले पर पुलिया का निर्माण कार्य।	85,44,842.00	2360.00	6,27,243.00	06 माह
6.	श्री राधा फ्लोरेंस चौराहे से तेहरा रोड पर कोविद ग्रीन तक सीवर लाईन डालने का कार्य।	37,90,410.00	1770.00	3,79,000.00	06 माह
7.	श्री राधा फ्लोरेंस से श्री राधा सौन्दयर्म होते हुए ग्राम अल्हैपुर जाने वाली सड़क का माइनर तक निर्माण कार्य।	1,39,74,269.00	5900.00	8,98,800.00	06 माह
8.	देवी आटस से मायावन तक सड़क चौड़ीकरण एवं पुलिया का निर्माण कार्य।	3,84,20,431.00	5900.00	21,21,022.00	12 माह
9.	आगरा रोड पर दामोदरपुरा मेनगेट से कृष्णा गार्डन के समीप प्राकृतिक नाले तक नाले का निर्माण कार्य।	65,96,315.00	2360.00	5,29,900.00	06 माह
10.	प्राधिकरण परिसर में होमगार्ड कार्यालय की आन्तरिक रंगाई–पुताई एवं मरम्मत का कार्य।	6,63,226.00	708.00	66,400.00	02 माह
11.	श्रीकृष्ण जन्मस्थान पर सुरक्षा ड्यूटी में तैनात पी.ए.सी. हेतु शौचालय का निर्माण कार्य।	39,07,854.00	1770.00	3,90,785.00	09 माह

आवश्यक शर्ते–

1. क्र.सं. 1, 7 व 8 पर अंकित कार्य हेतु निविदादाता का हॉट मिक्स प्लान्ट का स्वामित्व/किरायेनामे का एग्रीमेन्ट होना अनिवार्य है।
2. निविदा मूल्य एवं जमानत धनराशि पृथक–पृथक रूप से यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के खाता सं0 518702010068039 में RTGS/NEFT के माध्यम से धनराशि जमा कराते हुए प्राप्त यू.टी.आर. स्लिप की अलग–अलग स्कैन कॉपी अपलोड करना अनिवार्य है। निविदा मूल्य की जमा धनराशि किसी भी दशा में वापिस नहीं (Non-Refundable) की जायेगी।
3. निविदा में दी गयी दरें तीन माह तक मान्य होंगी।
4. विशेष सचिव, उ0प्र0 शासन, लोक निर्माण अनुभाग–12, लखनऊ के शासनादेश संख्या–622/23–12–2012–2 ऑडिट/08, टी0सी0 दिनांक 08.06.2012 में विभिन्न निर्माण कार्यों हेतु प्राप्त टेण्डर स्वीकार किये जाने के सम्बन्ध में ''कट ऑफ लिमिट'' से प्रतिशत निम्न टेण्डर पर कार्य स्वीकार करने के साथ–साथ अतिरिक्त सिक्योरिटी/परफारमेंस गारण्टी लिये जाने का प्राविधान किया गया है, जिसके अनुसार 10 प्रतिशत निम्न तक 0.50 प्रतिशत प्रति 1 प्रतिशत कम दर पर तथा 10 प्रतिशत से अधिक निम्न दरों पर 1.00 प्रतिशत प्रति 1 प्रतिशत कम दर पर सिक्योरिटी/परफारमेन्स गारण्टी ली जायेगी। उपरोक्त शासनादेश के अनुसार सिक्योरिटी/परफोरमेन्स गारण्टी, राष्ट्रीयकृत बैंक की एफ0डी0आर0/बैंक गारण्टी/एन0एस0सी0 जो सचिव, म0वृ0वि0प्रा0, मथुरा के नाम बंधक हो, जमा करायी जायेगी।

5. सभी प्रकार की प्रचलित टैक्स एवं निर्माण अवधि में आरोपित अन्य टैक्सों के वहन का दायित्व निविदादाता का होगा। प्राधिकरण द्वारा प्रचलित व निर्माण कार्यों में आरोपित टैक्सों का कोई अतिरिक्त भुगतान नहीं किया जायेगा।
6. समस्त कटौतियाँ लोक निर्माण विभाग व शासन द्वारा जारी नियमों के अनुसार की जायेंगी।
7. निविदा की दरों में जी.एस.टी. अथवा कोई कर सम्मिलित नहीं है। जी.एस.टी. नियमानुसार अतिरिक्त देय होगा।
8. निविदा प्रपत्र उ.प्र. की ई–प्रोक्योरमेन्ट की बेवसाइट http://etender.up.nic.in पर देखे जा सकते हैं तथा इसी बेवसाईट से डाउनलोड/अपलोड भी किये जा सकेंगे। इच्छुक ठेकेदारों से अनुरोध है कि वे नियमित रूप से उक्त बेवसाईट को देखते रहें, क्योंकि प्रश्नगत निविदाओं के सम्बन्ध में कोई बदलाव अथवा सूचना उक्त बेवसाईट पर ही उपलब्ध करायी जायेंगी तथा तकनीकी बिड में अर्ह निविदादाताओं की वित्तीय बिड खोलने की तिथि एवं समय की सूचना भी इसी बेवसाईट पर दी जायेगी।
9. कार्य की मात्रा में कमी/बढ़ोत्तरी अथवा विभाजित करने अथवा किसी भी निविदा को बिना कारण बताये निरस्त करने का अधिकार, उपाध्यक्ष, म.वृ.वि.प्रा. में निहित है, जिसके विरुद्ध निविदादाता का कोई क्लेम मान्य नहीं होगा।
10. निविदादाता को आयकर विभाग, श्रम विभाग एवं जी.एस.टी. में पंजीकरण कराना अनिवार्य होगा। शासन द्वारा समय–समय पर लागू आयकर, लेबर सेस एवं अन्य करों की कटौती ठेकेदार के बिलों से नियमानुसार की जायेगी।
11. उ.प्र. भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार नियोजन तथा सेवा शर्त विनियम नियमावली वर्ष–2009 के विनियम 24(2) के अन्तर्गत प्रत्येक संविदा हेतु श्रम विभाग में एकल पंजीकरण कराना अनिवार्य है। अतः अनुबन्ध गठन के पश्चात् उक्त पंजीकरण प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करना होगा, जिसके उपरान्त ही चलित देयक का भुगतान किया जायेगा।
12. स्टेट बार कॉउंसिल में पंजीकृत व्यक्ति एवं आपराधिक रिकॉर्ड वाले निविदादाता को निविदा प्रक्रिया में भाग लेने की अनुमति नहीं है। साथ ही यदि निविदादाता का सगा–सम्बन्धी (First blood relation & their dependant) म.वृ.वि.प्रा. में कार्यरत है, तो उसे भी निविदा प्रक्रिया में भाग लेने की अनुमति नहीं है।
13. उत्तर प्रदेश के अन्य किसी प्राधिकरण अथवा सरकारी विभाग के पंजीकृत ठेकेदार की निविदा (क्र.सं. 11 व 12 को छोड़कर) स्वीकृत होने के उपरान्त, ठेकेदार द्वारा मथुरा–वृन्दावन विकास प्राधिकरण में पंजीकरण कराना अनिवार्य होगा।
14. निविदादाता द्वारा दिये गये दस्तावेजों/प्रमाण–पत्रों के गलत पाये जाने पर कार्य/अनुबन्ध की स्वीकृति को तत्काल निरस्त करते हुए ठेकेदार द्वारा जमा धरोहर/जमानत धनराशि को जब्त कर लिया जायेगा तथा ठेकेदार को कालीसूची में डाल दिया जायेगा।
15. सशर्त निविदा मान्य नहीं होगी।
16. अन्य विभाग/प्राधिकरण में पंजीकृत होने की स्थिति में निविदादाता को पंजीकरण प्रमाण–पत्र व कितने मूल्य की निविदा हेतु अर्ह है, सम्बन्धी प्रपत्र संलग्न करने होंगे।
17. निविदादाता को वैध सॉल्वेन्सी सर्टिफिकेट व चरित्र प्रमाण–पत्र भी संलग्न करना अनिवार्य है।
18. क्र.सं. 03 पर अंकित कार्य में निविदादाता निर्माता कम्पनियों द्वारा ही प्रतिभाग किया जायेगा।
19. क्र.सं. 04 पर अंकित कार्य हेतु अग्निशमन विभाग से लाईसेंस प्राप्त फर्म/ठेकेदारों द्वारा निविदा में प्रतिभाग किया जाना अनिवार्य है एवं कार्य की ड्राइंग अग्निशमन विभाग से कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व स्वयं अनुमोदित कराया जाना आवश्यक होगा। कार्य पूर्ण होने के उपरान्त अग्निशमन विभाग से अन्तिम अनापत्ति प्रमाण–पत्र उपलब्ध कराने का दायित्व फर्म का होगा, तदोपरान्त ही अन्तिम भुगतान किया जायेगा।

नोट :– निविदा के साथ संलग्न प्रपत्रों एवं शर्तों को भलीभाँति पढ़ व समझ लें। निविदा के पश्चात् किसी भी आपत्ति पर विचार किया जाना सम्भव नहीं होगा। किसी भी संशोधन/परिवर्तन कीसूचना ई–टेण्डर की बेवसाईट http://etender.up.nic.in पर ही दी जायेगी।